

पत्रांक - ०३/एमए - ०१/२०२६ (गो)

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार, पटना।

प्रेषक,

रणजीत कुमार(भा०प्र०से०),

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप निदेशक (नियोजन),

सभी सहायक निदेशक (नियोजन),

सभी नियोजन पदाधिकारी,

सभी जिला नियोजन पदाधिकारी।

पटना-०१, दिनांक-

विषय-

The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 (31 of 1959) को निरसित कर सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० एवं इसके अन्तर्गत अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, २०२६ के आलोक में कार्यवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- ५३१९(अ), दिनांक- २१.०१.२०२५ (गजट संख्या- ५१४३, दिनांक- २१.११.२०२५) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० के लागू होने की तिथि दिनांक-२१.११.२०२५ नियत की गयी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० की धारा- १६४ के प्रावधानों के अनुसार The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, १९५९ (३१ of १९५९) को निरसित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० के अध्याय XIII में रोजगार सूचना एवं अनुश्रवण से सम्बंधित प्रावधान किये गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० की धारा-१५४ एवं १५६ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, २०२६ अधिसूचित किया गया है एवं नियमावली बिहार गजट में प्रकाशित किया गया है (गजट संख्या- ६९७, दिनांक- ०१.०७.२०२६)। संहिता के अध्याय-१३ की धारा- १३९ एवं १४० के प्रावधानों के अपेक्षानुसार रोजगार की जानकारी और अनुश्रवण से संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, २०२६ में समावेशित किए गये हैं, जो अध्याय-X के अन्तर्गत नियम-२९ में उल्लेखित है।

अतः निदेशित किया जाता है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० एवं इसके अन्तर्गत अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, २०२६ के अध्याय-X के अन्तर्गत नियम-२९ के प्रावधानों के आलोक में कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रणजीत कुमार)

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,

बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

- प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रमंडल, बिहार को सादर सूचनार्थ ।
 3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ ।
 4. IT MANAGER, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
 5. प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) को आवश्यक क्रियार्थी
 6. श्री प्रवीण कुमार, CMS Computers, बिहार, पटना को रोजगार सेतु पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।



निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।